न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 33/2022 अपील (GCMS 2022/40)
पंजीयन दिनांक– 06.04.2022
निर्णय दिनांक– 28.03.2023

1. श्री प्रकाश चन्द्र मीणा पिता लोगर मीणा, निवासी रामा खेडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।

–अपीलांट

बनाम

1. नगर विकास प्रन्यास, जरिये सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री मनीष मोगरा — अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री दिलीप सुथार — अधिवक्ता रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के प्रकरण संख्या 27245/2018 निर्णय दिनांक 07.02.2022

निर्णय

दिनांक 28.03.2023

- अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के प्रकरण संख्या 27245/2018 निर्णय दिनांक 07.02.2022 के विरूद्ध दिनांक 22.03.2022 को इस न्यायालय में पेश की गई।

- इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 03.05.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा राजस्व ग्राम तितरडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर के खसरा नम्बर 768, 769, 770, 771 मी., 772, 773 कुल किता 6 रकबा 0.4450

हैक्टेयर भूमि को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ आवासीय रूपांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा वर्ष 2018 से वर्ष 2022 तक लगातार नगर विकास प्रन्यास में संपर्क करने के बावजूद भी अपीलांट का आवेदन निरस्त कर दिया जाने के निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

- यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष मोगरा उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप सुथार उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 27.03.2023 को सुनी गई।

- अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन को दिनांक 03.05.2018 को न्यु एंट्री के साथ ऑनलाईन संचालित किया गया, जिस पर चली प्रक्रिया के तहत आवेदित भूमि के अवाप्तिधीन नहीं होने की रिपोर्ट की गई। क्रम संख्या 12 में भू–उपयोग मास्टर प्लान 2031 के अंतर्गत आवासीय होने की रिपोर्ट की गई। इसी अनुशंषा पर क्रम संख्या 16 के अंतर्गत 90–क की कार्यवाही किये जाने हेतु नियमानुसार राशि 90,975/– रूपये जमा कराने का आदेश हुआ जो भूगतान अपीलांट द्वारा तत्काल ही करा दिया गया इस पर अग्रिम कार्यवाही में आम सूचना प्रकाशित कराई गई और साथ ही तहसीलदार, गिर्वा से रिपोर्ट ली गई जिस संपूर्ण विस्तृत रिपोर्ट में वांछित समस्त योग्यताए अपीलांट द्वारा पूर्ण की गई अर्थात किसी प्रकार की कोई कमी तहसीलदार, गिर्वा द्वारा पाई नहीं गई इस प्रकार संपूर्ण परिक्षण के उपरांत पुनः रिपोर्ट की गई जिसमें एक अन्य प्रकरण योजना खसरा संख्या 347 से 350, 754 से 757, 761 से 767 की 90–बी की कार्यवाही का हवाला देकर उक्त खसरान की 90–बी दिनांक 23.05.2018 को कर दिया गया, जो कि काबिल निरस्त है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

आदेश निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट द्वारा अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.02.2022 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

- प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.02.2022 की अपील अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 22.03.2022 को पेशी की है, जो अंदर मयाद है।

- अब हम अपील में गुणावगुण पर विवेचन करना उचित समझते है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से प्रकरण में यह सुस्पष्ट है दिनांक 03.05.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट श्री प्रकाश चन्द्र पिता लोगर मीणा, निवासी रामाखेडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम तितरडी, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर के खसरा नम्बर 768, 769, 770, 771मी., 772 उपं 773 कुल किता 6 रकबा 0.4450 हैक्टेयर भूमि को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ आवासीय रूपांतरण कराये जाने बाबत निवेदन किया गया।

- प्रकरण में अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलांट के आवेदन पर दिनांक 03.05.2018 को न्यु एंट्री के साथ ऑनलाईन कार्यवाही संचालित की जाकर ऑनलाईन रिपोर्ट में क्रम संख्या 1 से 70 में रिपोर्ट अपीलांट के पक्ष में होना प्रकट होता है तथा अपीलांट द्वारा क्रम संख्या 16 के अंतर्गत 90–क की कार्यवाही किये जाने हेतु राशि रूपये 90,975/– जमा कराने का आदेश हुआ उसका भूगतान भी अपीलांट द्वारा तत्काल ही जमा करा दिया गया तथा अग्रिम कार्यवाही में आम सूचना प्रकाशित कराई गई और साथ ही तहसीलदार, गिर्वा से रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट में वांछित समस्त

योग्यताएं अपीलांट द्वारा पूर्ण की गई अर्थात किसी प्रकार की कोई कमी तहसीलदार, गिर्वा द्वारा नहीं पाई गई।

- प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा ऑनलाईन प्रक्रिया से प्राप्त रिपोर्ट में क्रम संख्या 1 से 70 में अपीलांट के पक्ष में होने के उपरांत भी अपीलांट का आवेदन निरस्त किया गया जो उचित प्रतित नही होता है।

- उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय के प्ररकण संख्या 27245/2018 निर्णय दिनांक 07.02.2022 से पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय, तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है, अतएवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.02.2022 90–ए आवेदन की निरस्ती बाबत अपास्त करते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में नियमानुसार भूमि रूपांतरण की कार्यवाही कर विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.05.2023 को उपस्थित रहे।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर